23/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तो हमने पाया कि दिनांक 03.12.2021 को दोनों पक्षकरान के प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में उपस्थित होकर आपसी सहमति होने से प्राथमिक डिकी जारी की गई थी। तत्पश्चात दिनांक 20.12.2021 को प्राप्त बंटवाड प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर कर निर्णय जारी किये जाने हेतु दिनांक 02.03.2022 को उक्त प्रकरण अवलोकन आदेश व निर्णय पर रखी जिसमें वादीगण ने अपनी आपत्ति आदेशिका में पेश की थी। वादी ने दिनांक 12.03.2022 को 151 सीपीसी में एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपनी आपत्ति पेश की, कि मुझ प्रार्थी को बाय मिटस एंड बाउन्डस के तहत बंटवाडा नहीं कर मुझे दुसरे खसरों में डाल दिया गया है। वादी ने खसरा नं0 43, 37/107, 40/109 व 38 में भी भागीदारी/हिस्सेदारी दी जावे। जिसके जवाब में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.08.2022 को जवाब पेश किया कि वादी द्वारा प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर पूर्व में कर दिये गये है। अतः इनका प्रार्थना अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज करने योग्य है।

हमने पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी तो हमने पाया कि विवादग्रस्त आराजी के कई खसरा नं0 है जो कि बहुत छोटे–छोटे होने एवं काश्त की सुविधा के कारण प्रत्येक खसरा नम्बरान में वादी को हिस्सा दिया जाना संभव नहीं है। साथ ही तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादीयों के भी पूर्व में हस्ताक्षर किये हुए है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को खारिज किया जाता है।

हमने पत्रावली पर वकील पक्षकरान की अंतिम बहस सुनी। बहस व पत्रावली का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव को न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है एव [illegible] बंटवाड प्रस्ताव अनुसार निर्णय व डिकी अलग से [illegible] शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव व नजरी [illegible] का अभिन्न अंग [illegible] जावे। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्र[illegible]ली फैसल शुमार [illegible]र नं0 से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.12.22 12:15:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)